

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड

कृषि भवन: जयपुर

क्र. नं. --- / --- 4160

15 MAR 2008

डाक प्र. नं. ---

क्रमांक : प.7(30)कृषि-2/04.

जयपुर, दिनांक : 13-3-08

प्रशासक,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर

क्रमांक/दिनांक 1527
दिनांक 15/3/08

विषय :- राज्य में सब्जी निर्यात प्रोत्साहन हेतु सहायता योजना।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.05.2007 के द्वारा राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित समस्त फल, फूल एवं सब्जी के वायु मार्ग से पश्चिम एशिया के देशों, यूरोपीयन देश, जापान, कोरिया, और सिंगापुर में निर्यात करने के लिये वर्ष 2007-2008 के लिये जारी "सब्जी निर्यात प्रोत्साहन योजना" को निर्देशानुसार वर्ष 2008-2009 हेतु निम्नांकित शर्तों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है-

1. इस योजना के अन्तर्गत जयपुर से निर्यात की जाने वाली फल, फूल एवं सब्जियों के निर्यातकों को रुपये 3.50 प्रति कि०ग्रा० या FOB Value का 20% अथवा जो भी कम हो, की सहायता देय होगी।
2. दिल्ली से निर्यात की जाने वाली सब्जियों के निर्यातकों को देय अन्तर्देशीय परिवहन सब्सिडी के रूप में रुपये 3.50 प्रति कि०ग्रा० या FOB Value का 20% या वास्तविक परिवहन लागत, जो भी कम हो, देय होगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत कुल 25.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा होगी तथा एक निर्यातक को रु. 7.50 लाख से अधिक की सहायता का लाभ नहीं दिया जायेगा।
4. यह योजना 31.03.2009 तक प्रभावी रहेगी।
5. दिनांक 31.03.2009 तक निर्यात की जाने वाली सब्जियों पर अनुदान दावा दिनांक 15.04.2009 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा, किन्तु कुल अनुदान राशि रु. 25.00 लाख से अधिक नहीं होगी। यदि योजना का विस्तार वर्ष 2009-2010 के लिये किया जाता है, तो वर्ष 2008-09 के लिये स्वीकृत कुल योजना राशि रुपये 25.00 लाख से अधिक के दावे आगामी वर्ष में नहीं ले जाये जा सकेंगे।
6. कृषि विपणन बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि यह योजना मात्र राजस्थान के किसानों के द्वारा उत्पादित समस्त फल, फूल एवं सब्जियों के ही निर्यात पर ही लागू होगी, जिसमें आलू, प्याज, तरबूज, खरबूजा आदि जिन्से सम्मिलित नहीं होगी।

भवदीय

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
4. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

SEA FREIGHT SUBSIDY FOR AGRI EXPORT PROMOTION

Name of Scheme	:	Rajasthan Agriculture Produce Sea Freight Subsidy Scheme
Objective	:	Agri Export Promotion
Implementing Agency	:	Rajasthan State Agricultural Marketing Board, Jaipur
Area of Application	:	<ul style="list-style-type: none">• Export of Agriculture commodity produced in Rajasthan State.• Export fruits, vegetables and flowers of Rajasthan origin through Kandla Port sea port.
Eligibility	:	Cooperative Societies, Government organizations, Private Organizations, Farmers and Farmers' Group are eligible for the subsidy
Amount of Subsidy	:	Amount of subsidy will be 25% of the sea freight bill, subject to maximum of Rs. 50,000/- per bill and limited to Rs. 2.50 lac per year.
Period	:	Year 2008-09
Submission of Application	:	The exporter should apply for the subsidy within 90 days after unloading the goods at the destination, along with following documents – I) Copy of certificate of incorporation /articles and Memorandum of Association/ Partnership deed of the Organization. II) Last three years audited statement of accounts III) I. E.C. No. IV) Bank Account V) Loading and unloading documents VI) Bill of lading VII) Any other document required by RSAMB from time to time.
Limit of Subsidy	:	Rs. 25 lac will be earmarked for subsidy under MDF. The subsidy will be released on "First Come First Serve" basis. The date of export and submission of document will be taken into consideration on release of subsidy, if applications for subsidy exceed the limit of Rs. 25 lac.

Scheme will be implemented through **Export Promotion Fund under** MDF.